न्यायालय श्री सिद्धार्थ पाण्डेय, न्यायिक दण्डा0, प्रथम श्रेणी, दाउदनगर।
जी0आर0 संख्याः–804/2019
हसपुरा थाना कांड संख्याः–137/2019

अभियोजन की ओर से विद्वान अधिवक्ता :– श्री मनोज कुमार (अ0 पदाधिकारी) ।
बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता :– श्री बसंत कुमार ।

22.10.2019 कारादीन अभियुक्त बजरंगी कुमार की ओर से शक्ति पत्र के साथ जमानत आवेदन दाखिल किया गया, जिसकी प्रति विद्वान अभियोजन पदा0 को दी गई ।

वाद पुकार पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता उपरोक्त जमानत आवेदन के आलोक में निवेदन करते है कि आवेदक निर्दोष है । आवेदक की ओर से उक्त जमानत आवेदन के अलावा किसी अन्य न्यायालय में जमानत आवेदन दाखिल नही किया गया है । आवेदक का कोई अपराधिक इतिहास नही है । आवेदक को शंका के आधार पर गलत ढं.ग से इस मुकदमा में फंसाया गया है । आवेदक दिनांक–16.10.2019 से न्यायिक अभिरक्षा में है । आवेदक के पास से या उसके घर से किसी भी प्रकार का चोरी या लूट का सामान बरामद नही हुआ है । जप्ती सूची पर पुलिस के द्वारा आवेदक को मारपीट कर जबरदस्ती हस्ताक्षर बनवा लिया गया है । अतः आवेदक को किसी भी राशि का जमानत दिया जाय ।

विद्वान अभियोजन पदाधिकारी जमानत का विरोध करते हैं ।

सुना । अभिलेख का अवलोकन किया । जिससे विदित होता है कि उक्त वाद की प्राथमिकी भा0दं0सं0 की धारा 392 & 411 भा0दं0सं0 के अंतर्गत दर्ज की गई है । संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि सूचक संध्या 07:35 बजे अपने हाथ में ओपो कम्पनी का मोबाईल लेकर घर जा रहा था कि उक्त अभियुक्त सहित एक अन्य अभियुक्त सोनु कुमार यामहा मोटरसाईकिल से सवार होकर आये और सूचक के हाथ से मोबाईल छिनकर भागने लगे । सूचक के द्वारा हल्ला करने पर दोनो मोटरसाईकिल सहित गिर गये, जिसे सूचक सहित अन्य लोगों के द्वारा पकड. लिया गया तथा थाना को सूचित किया गया, जिसके उपरांत पुलिस थाना ले गई । आवेदक एवं एक अन्य अभियुक्त जो पकड.ा गया है उसके पास से उक्त ओपो मोबाईल के साथ कुल चार मोबाईल सेट बरामद हुआ है । आवेदक प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त है । चोरी की गई मोबाईल आवेदक एवं उक्त वाद के अन्य अभियुक्त के पास से बरामद की गई है । आवेदक के विरूद्ध गम्भीर आरोप है । उक्त वाद में अनुसंधान जारी है । अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति एवं गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए आवेदक/अभियुक्त को जमानत की सुविधा प्रदान करना समीचीन प्रतीत नहीं होता है । ऐसी स्थिति में उपरोक्त आवेदक/अभियुक्त द्वारा दाखिल जमानत आवेदन खारिज किया जाता है ।

न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, दाउदनगर ।